भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 179
दिनांक 21 जून, 2019 को उत्तर के लिए

बाल देखभाल संस्थानों को 'कारा' से जोड़ना

179. श्रीमती रक्षा निखिल खडसेः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों को सभी बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) को देश के शीर्ष निकाय 'कारा' में पंजीकृत करने और जोड़ने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है;
(ख) देश में कार्यरत सभी पंजीकृत और गैर-पंजीकृत सीसीआई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने राज्यों को प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियां स्थापित करने का आग्रह किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) की धारा 65 और 66 के साथ पठित धारा 41 तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 58 में सभी बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) के अनिवार्य पंजीकरण तथा किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) के साथ उसके लिंकेज का प्रावधान है । अतः, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एसएए के साथ बाल देखरेख संस्थाओं का लिंकेज सुनिश्चित करने तथा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि सभी बच्चे केयरिंग्स पर दर्शाए जाने चाहिए ।

(ख) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 18 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के साथ, 8244 सीसीआई में से 4849 का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान निरीक्षण समिति के निष्कर्ष के आधार पर जेजे अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के लिए 539 संस्थाओं को बंद किया गया । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया है कि 08 जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार जेजे अधिनियम, 2015 के तहत 7909 संस्थाएं पंजीकृत हैं । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 31 दिसम्बर, 2017 तक जेजे अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के तहत सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सीसीआई का पंजीकरण कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की है । ऐसी संस्थाओं को बंद करने हेतु कदम उठाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र भेजा गया, जिन्होंने अपना पंजीकरण कराने से मना कर दिया है । 08 जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार देश में सभी पंजीकृत सीसीआई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है ।

(ग) और (घ) : जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संबंध में अपनी सख्तियों का प्रयोग करने एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) का गठन करने की अपेक्षा है । 08 जनवरी, 2019 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक जिले में सीडब्ल्यूसी के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है ।

*****

अनुलग्नक-I

"बाल देखभाल संस्थानों को 'कारा' से जोड़ना" विषय पर श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा दिनांक 21जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 8.01.2019 को देश में क्रियाशील सभी पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत सीसीआई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत सीसीआई की संख्या
1.	अण्डमान और निकोबार	0
2.	आंध्र प्रदेश	779
3.	अरुणांचल प्रदेश	11
4.	असम	122
5.	बिहार	83
6.	चंडीगढ़	10
7.	छत्तीसगढ़	81
8.	दादरा और नगर हवेली	2
9.	दमन और दीव	0
10.	दिल्ली	50
11.	गोवा	80
12.	गुजरात	121
13.	हरियाणा	81
14.	हिमाचल प्रदेश	47
15.	जम्मू और कश्मीर	70
16.	झारखंड	120
17.	कर्नाटक	1134
18.	केरल	817
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	117
21.	महाराष्ट्र	908
22.	मणपुर	126
23.	मेघालय	99
24.	मजोरम	52
25.	नागालैंड	68
26.	ओडशा	270
27.	पुद्दुचेरी	63
28.	पंजाब	61
29.	राजस्थान	240
30.	सक्किम	28
31.	तमलनाडु	1263
32.	तेलंगाना	465
33.	त्रिपुरा	30
34.	उत्तर प्रदेश	207
35.	उत्तराखंड	41
36.	पश्चिम बंगाल	263
	कुल	7909

अनुलग्नक-II

"बाल देखभाल संस्थानों को 'कारा' से जोड़ना" वषय पर श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा दिनांक **21**जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारां कत प्रश्न संख्या **179** के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में संद र्भत अनुलग्नक

8.01.2019 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक जिले में बाल कल्याण स मतियों की स्थापना के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीसीडब्ल्यूसी वाले जिलों की संख्या
1.	अण्डमान और निकोबार	**0**
2.	आंध्र प्रदेश	**13**
3.	अरुणांचल प्रदेश	**22**
4.	असम	**30**
5.	बिहार	**38**
6.	चंडीगढ़	**1**
7.	छत्तीसगढ़	**27**
8.	दादरा और नगर हवेली	**1**
9.	दमन और दीव	**2**
10.	दिल्ली	**10**
11.	गोवा	**2**
12.	गुजरात	**33**
13.	हरियाणा	**21**
14.	हिमाचल प्रदेश	**12**
15.	जम्मू और कश्मीर	**22**
16.	झारखंड	**15**
17.	कर्नाटक	**30**
18.	केरल	**14**
19.	लक्षद्वीप	**0**
20.	मध्य प्रदेश	**51**
21.	महाराष्ट्र	**36**
22.	मणपुर	**16**
23.	मेघालय	**11**
24.	मजोरम	**8**
25.	नागालैंड	**11**
26.	ओडशा	**30**
27.	पुद्दुचेरी	**4**
28.	पंजाब	**22**
29.	राजस्थान	**33**
30.	सक्किम	**4**
31.	तमलनाडु	**32**
32.	तेलंगाना	**10**
33.	त्रिपुरा	**8**
34.	उत्तर प्रदेश	**75**
35.	उत्तराखंड	**13**
36.	पश्चिम बंगाल	**20**
	कुल	**677**